न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–22/2017 वाद पत्र

अनवान

1–कमलादेवी पत्नि किशनलाल ढोली निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1–जेठु पिता आसु नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2– मियाराम पिता आसु नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–रामलाल पिता रंगा नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–माधुलाल पिता रंगा नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–नानुराम पिता रंगा नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–अर्जुनलाल पिता रंगा नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–लादी पुत्री रंगा नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–मीठुलाल पिता नानुराम नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–गोपाललाल पिता रामलाल नायक निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10–बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राज0 टी0 एक्ट बाबत् विभाजन आराजी

1–फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता वादीया

निर्णय

दिनांक 12.06.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलया तहसील रायपुर बैरून हल्का आबादी में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या लगायत नो के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1112, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157 कुल किता 30 कुल रकबा 6.60 है0, भूमि खाता संख्या 101 पर स्थित है। जिसमें वादीया का 24/2160 हिस्सा तथा रहन का इन्द्राज यथावथ रखते हुए बाई मिटस एण्ड बोण्डस के आधार पर स्वंतन्त्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने हेतु प्राथमिक डिकी जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था जिसकी पालना में दिनांक 23.6.2018 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिकी एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीया के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में आराजी सख्या 1143/2 रकबा 0.0733 है0, कमलादेवी पत्नि किशन लाल ढोली सा.दे.खातेदार आराजी सख्या 1112 रकबा 0.02 है0 आराजी सख्या 1129 से 1142 रकबा 3.12 है. आराजी संख्या 1143/1 रकबा 1.3667 है. आबराजी सख्या 1144 से 1157 रकबा 2.02 है. कुल किता 30 कुल रकबा 65267 है. जेठु, मियाराम पिता आसु 22000/65267 नानुराम 4400/65267 माधुलाल 4400/65267 अर्जुनलाल 11000/25267 पिता रंगा लादी पुत्री रंगा 3300/65267 गांपालाल पिता रामलाल 12834/65267 मीठुलाल पिता नानुराम 7333/65267 नायक सा.दे. खातेदार दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा